

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / ०१ / 2022

दिनांक : 11.02.2022

श्रीमती मधु हिंसारिया (RJ0500), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), चूरु को दिनांक 21.02.2022 से 25.02.2022 तक 05 दिनों का **संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave)** दिनांक 20.02.2022 एवं 26.02.2022 से 27.02.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती हिंसारिया के उक्त **अवकाश** की अवधि के दौरान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु को विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), चूरु के पद का **अतिरिक्त कार्यभार** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा **पदस्थापित/नियुक्त** किया जाता है।


आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 10.02.2022

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/55/2005/ ११६

दिनांक : 11.02.2022

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु को उनके पत्रांक 568 दिनांक 20.01.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती मधु हिंसारिया (RJ0500), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), चूरु।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), चूरु।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु।
6. संबंधित कोषालय।
7. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण—पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार 11.2.2022